

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 03.10.2025

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18739/श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से.(2010), आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना (सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे और अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18740/श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. (2010), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड-बुडको) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री अनिमेष कुमार पराशर अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड(बुडको), पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18741/श्री हिमांशु शर्मा, भा.प्र.से.(2011), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त -स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या - 1/पी0 - 1005/2025 - सा0प्र0-18742/श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा.प्र.से.(2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।


संख्या-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18743/श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से.(2014) अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या - 1/पी0 - 1005/2025 - सा0प्र0 - 18744 / सुश्री कृतिका मिश्रा, भा.प्र.से. (2023) अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

संख्या - 1/पी0 - 1005/2025 - सा0प्र0 - 18745/श्री प्रधुम्न सिंह यादव, भा.प्र.से.(2023), अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पदाधिकारियों को प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार के आलोक में पूर्ववर्ती धारक पदाधिकारी उक्त अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18745/पटना-15, दिनांक :03.10.2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / संबंधित विभाग/

संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी / अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आईटी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

3/3